"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 18, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2016

क्रमांक ई-1-01-2016/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शिव अनंत तायल, भा.प्र.से. (2012), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ-20-31/2015/11/6.—चूंकि राज्य शासन को "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "ब्याज अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04-06-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम-2014" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप पैरा 5.13 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा जाये, अर्थात्

5.14 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बीमार/बंद उद्योग के क्रय हेतु लिए गये सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान की पात्रता होगी.

5.15 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बंद उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 3.00 करोड़ रुपये या उत्पादनरत विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी के न्यूनतम 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का अतिरिक्त पूंजी निवेश करने पर, तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में भी 10 प्रतिशत, की वृद्धि हो तथा विस्तारित वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति की कालावधि में प्रारंभ हो, तो विस्तार/डायवर्सीफिकेशन आदि के लिये किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेश पर औद्योगिक नीति 2014-19 में घोषित ब्याज अनुदान की पात्रता होगी किन्तु इसकी अधिकतम सीमा बंद उद्योग को देय शेष अनुदान एवं उक्त अतिरिक्त पूंजी निवेश पर देय अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014-19 में घोषित अनुदान की सीमा से अधिक नहीं होगी.

टीप :— उपरोक्त 5.14 एवं 5.15 हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 में उप पैरा 6.15 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 6.16 एवं 6.17 जोड़ा जाये, अर्थात्

6.16 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को यदि राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001-06 अथवा औद्योगिक नीति 2004-09 अथवा औद्योगिक नीति 2009-14 अथवा औद्योगिक नीति 2014-19 संबंधित औद्योगिक नीति एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् यदि ब्याज अनुदान प्राप्त नहीं होने पर अथवा आंशिक प्राप्त होने पर बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु किये गये अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश पर उपरोक्त पैरा 6 में उप पैरा 6.3 से 6.6 की तालिकाओं के तहत् औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु लागू दर एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से श्रेणीकृत (सामान्य उद्योग/प्राथमिकता उद्योग) आधार पर पूर्ण अथवा शेष बची ब्याज अनुदान राशि, जैसी भी स्थिति हो, दिया जावेगा.

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को राज्य गठन के पश्चात् जारी उक्त औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001-16/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित ब्याज अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि किसी अवधि/अवधियों का ब्याज अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो ब्याज अनुदान को स्वीकृत करने में केवल नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमत: पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा. अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त कंडिका 5.15 अनुसार होगी.

6.17 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुन: उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत उप पैरा 6.16 अनुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी. अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त उप पैरा 5.15 अनुसार होगी.

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 7.1 में (10) के पश्चात् निम्नलिखित (11) जोड़ा जावे, अर्थात्

(11) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो).

(चार) बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को दिये जाने वाले ब्याज अनुदान के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 04-06-2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ-20-63/2015/11/6.—चूंकि राज्य शासन को "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "विकलांग (नि:शक्त) रोजगार अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-06-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (नि:शक्त) रोजगार अनुदान नियम-2014" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप पैरा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा स्थापित किया जावे, अर्थात्

(6) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु अधोलिखित उप पैरा (7) के अनुसार अतिरिक्त निवेश करने पर विकलांग (नि:शक्त) रोजगार अनुदान की पात्रता होगी.

(7) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बंद उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 3.00 करोड़ रुपये या उत्पादनरत विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी के न्यूनतम 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का अतिरिक्त पूंजी निवेश करने पर, तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में भी 10 प्रतिशत, की वृद्धि हो तथा विस्तारित वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति की कालावधि में प्रारंभ हो, तो विस्तार/डायवर्सीफिकेशन आदि के लिये किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेश पर औद्योगिक नीति 2014-19 में घोषित विकलांग (नि:शक्त) रोजगार अनुदान की पात्रता होगी किन्तु इसकी अधिकतम सीमा बंद उद्योग को देय शेष अनुदान एवं इस अतिरिक्त पूंजी निवेश पर देय अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014-19 में घोषित अनुदान की सीमा से अधिक नहीं होगी.

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित विकलांग (नि:शक्त जन) अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो विकलांग (नि:शक्तजन) अनुदान को स्वीकृत करने में अस्वीकृत या अमान्य प्रकरण को छोड़कर अन्य प्रकरण तथा नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमत: पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा. अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त पैरा अनुसार होगी.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 में उप पैरा 6.4 के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा जोड़ा जाये, अर्थात्

6.5 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु विकलांग (नि:शक्त) रोजगार अनुदान उपरोक्त पैरा 6 की तालिका एवं टीप क्र. 6.1 से 6.4 के अनुसार दिया जावेगा.

6.6 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुन: उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत उप पैरा 6.5 अनुसार अनुदान की पात्रता होगी.

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 7 में उप पैरा 7.1(5) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा 7.1(6) जोड़ा जाये, अर्थात्

(6) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(चार) बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता उद्योग को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 17-06-2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ-20-68/2015/11/6.—चूंकि राज्य शासन को "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "स्थायी पूंजी निवेश अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-08-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम-2014" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप पैरा 5.12 के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा जोड़े जायें, अर्थात्

5.13 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान की पात्रता होगी.

5.14 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बंद उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम 3.00 करोड़ रुपये या उत्पादनरत विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी के न्यूनतम 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का अतिरिक्त पूंजी निवेश करने पर, तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत मूल क्षमता या औसत उत्पादन, जो भी अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो एवं कुल रोजगार में भी 10 प्रतिशत, की वृद्धि हो तथा विस्तारित वाणिज्यिक उत्पादन इस नीति की कालावधि में प्रारंभ हो, तो विस्तार/डायवर्सीफिकेशन आदि के लिये किये गये अतिरिक्त पूंजी निवेश पर औद्योगिक नीति 2014-19 में घोषित स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता होगी किन्तु इसकी अधिकतम सीमा बंद उद्योग को देय शेष अनुदान एवं उक्त अतिरिक्त पूंजी निवेश पर देय अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014-19 में घोषित अनुदान की सीमा से अधिक नहीं होगी.

टीप :— उपरोक्त कंडिका 5.13 एवं 5.14 के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्क होगा.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 में उप पैरा 6.3 के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा जोड़े जायें, अर्थात्

6.4 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को यदि राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीतियों में यथा औद्योगिक नीति 2001-06 अथवा औद्योगिक नीति 2004-09 अथवा औद्योगिक नीति 2009-14 अथवा औद्योगिक नीति 2014-19 संबंधित औद्योगिक नीति एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् यदि अधोसंरचना लागत-स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त नहीं होने पर अथवा आंशित प्राप्त होने पर बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु किये गये अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश पर उपरोक्त पैरा 6 में उप पैरा 6.2 की तालिकाओं के तहत् औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु लागू दर एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से श्रेणीकृत (सामान्य उद्योग/प्राथमिकता उद्योग) आधार पर पूर्ण अथवा शेष बची अनुदान राशि, जैसी भी स्थिति हो, दिया जावेगा.

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को राज्य गठन के पश्चात् जारी उक्त औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09 औद्योगिक नीति 2009-14/ औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित अधोसंरचना लागत-स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि अधोसंरचना लागत-स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो स्थायी पूंजी निवेश अनुदान को स्वीकृत करने में केवल नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमत: पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा. अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त उप पैरा 5.14 अनुसार होगी.

6.5 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुन: उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत उप पैरा 6.4 अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता होगी. अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त उप पैरा 5.14 अनुसार होगी.

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 7 में उप पैरा 7.1(9) के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा 7.1(10) जोड़ा जावे, अर्थात्

(10) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो).

(चार) बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-08-2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ-20-81/2015/11/6.—चूंकि राज्य शासन को "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-09-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम-2014" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 3 में (10) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा जोड़ा जावे, अर्थात्

(11) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की पात्रता होगी.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 4 में 4.1 (5) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा 4.1 (6)जोड़ा जावे, अर्थात्

(6) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो).

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में 5.5 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जावे, अर्थात्

5.6 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/ औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है अथवा आंशिक रूप से प्राप्त होने पर तो बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान में से शेष रहा अनुदान उपरोक्त पैरा 5 की कंडिका 5.1, 5.2 एवं 5.5 के अनुसार दिया जावेगा किन्तु यह औद्योगिक नीति 2014-19 में इस अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा.

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को राज्य गठन के पश्चात् जारी उक्त औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/ औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि गुणवत्ता प्रमाणी-करण अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो गुणवत्ता प्रमाणी-करण अनुदान स्वीकृत करने में केवल नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमत: पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा.

5.7 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुन: उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत कंडिका 5.6 अनुसार अनुदान की पात्रता होगी.

(चार) बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता उद्योग को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में उक्त अधिसूचना दिनांक 24-09-2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ-20-82/2015/11/6.—चूंकि राज्य शासन को "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "परियोजना प्रतिवेदन अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-09-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम-2014" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप पैरा 5.9 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा जावे, अर्थात्

5.10 छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिये अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने पर परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की पात्रता होगी.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 7 में उप पैरा 7.1(6) के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा 7.1(7) जोड़ा जावे, अर्थात् :—

(7) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 8 में उप पैरा 8.3 के पश्चात् निम्नांकित/उप पैरा जोड़ा जावे, अर्थात् :—

8.4 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता उद्योग को यदि राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001-06 अथवा औद्योगिक नीति 2004-09 अथवा औद्योगिक नीति 2009-14 अथवा औद्योगिक नीति 2014-19 संबंधित औद्योगिक नीति एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् यदि परियोजना प्रतिवेदन अनुदान प्राप्त नहीं होने पर अथवा आंशिक प्राप्त होने पर बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने पर परियोजना प्रतिवेदन अनुदान उपरोक्त पैरा 8 के कंडिका 8.1 की तालिका के तहत् औद्योगिक दृष्टि से विकासशील/औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु लागू दर एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से श्रेणीकृत (सामान्य उद्योग/प्राथमिकता उद्योग) आधार पर दिया जावेगा. अनुदान की अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014-19 के कुल अनुदान की सीमा से अधिक नहीं होगी.

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को राज्य गठन के पश्चात् जारी उक्त औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित परियोजना प्रतिवेदन अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो परियोजना प्रतिवेदन अनुदान को स्वीकृत करने में अस्वीकृत या अमान्य प्रकरण को छोड़कर अन्य प्रकरण तथा नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमत: पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा. अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त पैरा अनुसार होगी.

8.5 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुन: उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत कंडिका 8.4 अनुसार अनुदान की पात्रता होगी.

(चार) बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता उद्योग को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-09-2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ-20-83/2015/11/6.—चूंकि राज्य शासन को "छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" के प्रावधानों के आधार पर यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित "तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-09-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम-2014" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा 4 में (8) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जावे, अर्थात् :—

(9) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बीमार/बंद उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन पर तकनीकी पेटेन्ट अनुदान की पात्रता होगी.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा 5 में उप पैरा 5.1(5) के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा 5.1(6) जोड़ा जावे, अर्थात् :—

(6) छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीमार/बंद उद्योग घोषित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा 6 में उप पैरा 6.3 के पश्चात् निम्नांकित उप पैरा जोड़ा जाये, अर्थात्

6.4 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता उद्योग को यदि राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001-06 अथवा औद्योगिक नीति 2004-09 अथवा औद्योगिक नीति 2009-

14 अथवा औद्योगिक नीति 2014-19 एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् यदि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान प्राप्त नहीं होने पर अथवा आंशिक प्राप्त होने पर बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन पर तकनीकी पेटेन्ट अनुदान उपरोक्त पैरा 6 के उप पैरा 6.1 एवं 6.2 के अनुसार दिया जावेगा. जिसकी अधिकतम सीमा औद्योगिक नीति 2014-19 में कुल अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी.

परंतु यदि बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के स्वामी को राज्य गठन के पश्चात् जारी उक्त औद्योगिक नीतियों यथा औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित तकनीकी पेटेंट अनुदान अधिसूचना के तहत् यदि अनुदान अस्वीकृत या अमान्य हुआ है तो तकनीकी पेटेंट अनुदान को स्वीकृत करने में अस्वीकृत या अमान्य प्रकरण को छोड़कर अन्य प्रकरण तथा नये निवेश के प्रकरणों में नये निवेश की सीमा तक ही विचार किया जायेगा और नियमत: पाये जाने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा. अनुदान की अधिकतम सीमा उपरोक्त पैरा अनुसार होगी.

6.5 बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता को, उसका उद्योग राज्य गठन के पश्चात् जारी औद्योगिक नीति 2001-06/औद्योगिक नीति 2004-09/औद्योगिक नीति 2009-14/औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत् एवं संबंधित अधिसूचना के तहत् अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची में रहने पर किन्तु औद्योगिक नीति 2014-19 में पात्र होने पर, बीमार उद्योग के पुनर्वास के लिए अथवा बंद उद्योग के पुनर्संचालन हेतु बीमार उद्योग/बंद उद्योग में पुन: उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत उप पैरा 6.4 अनुसार अनुदान की पात्रता होगी.

(चार) बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग को अथवा बीमार/बंद उद्योग घोषित उद्योग के क्रेता उद्योग को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 28-09-2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 20-21/2016/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-03-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) मूल नियम हेतु जारी उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 में पैरा-2.3 के उप पैरा-2.3.7 के सीरियल क्रमांक त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसके स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाये अर्थात् :—

i. कंडिका 2.3.7 में उप कंडिकाओं के सीरियल नम्बर (स) एवं (द) के स्थान पर क्रमश: सीरियल नम्बर (अ) एवं (ब) स्थापित किया जाये.

ii कंडिका 2.3.7 (ब) [वर्तमान में (द)] के ii (क) में शब्द "अधिकतम" को शब्द "न्यूनतम" से प्रतिस्थापित किया जाये.

iii कंडिका 2.3.7 (ब) [वर्तमान में (द)] के ii में (क), (ख) तथा (ग) के पश्चात् निम्नानुसार (घ) जोड़ा जाये :—

(घ) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग उपरोक्त (क), (ख) तथा (ग) के प्रावधान को शिथिल कर सकेगा.

(दो) मूल नियम हेतु जारी उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 में पैरा 2.5 के उप पैरा-2.5.5 एवं उप पैरा 2.5.10 के नीचे निम्नानुसार टीप जोड़ी जाये :—

टीप :— लीजडीड की कंडिकाओं के अनुसार आवंटित भू-खण्ड का उपयोग करने वाले उद्योगों के प्रकरणों में निम्न स्थितियों में लीजडीड में संशोधन को भू-भाटक एवं संधारण शुल्क के पुनर्निर्धारण हेतु संशोधन नहीं माना जायेगा :—

(क) मूल आवंटी/आवंटियों के स्वामित्व में परिवर्तन के बिना केवल इकाई के नाम में परिवर्तन.

(ख) मूल आवंटी/आवंटियों के स्वामित्व को परिवर्तन किये बिना Form of Incorporation में हुआ संशोधन/परिवर्तन.

(ग) इकाई द्वारा उत्पादनरत् उत्पादों में क्षमता का विस्तार.

उक्त (क) एवं (ख) में मूल आवंटी/आवंटियों के स्वामित्व में परिवर्तन इस नियम की कंडिका क्र. 3.4.1.1 (अ) एवं (ब) तथा कंडिका क्र. 3.4.1.3 (अ) अनुसार मान्य होगा.

(तीन) मूल नियम हेतु जारी उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 में पैरा 2.9 के उप पैरा-2.9.5 के प्रथम पैरा की तीसरी पंक्ति में शब्द ''निष्पादन'' को शब्द ''पंजीयन'' से प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. इस संशोधन के लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की गई है.

3. ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 20-36/2014/11/6.—चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है.

अतएव राज्य शासन छत्तीसगढ़ की स्टार्ट अप इकाईयों को विशेष सुविधायें प्रदान करने के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-01-2015 द्वारा जारी औद्योगिक नीति 2014-19 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) स्टार्ट अप पैकेज का लाभ स्टार्ट अप यूनिट्स को देने के लिये प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014-19 में कंडिका-15 में उप कंडिका 15.25 निम्नानुसार जोड़ी जाये :—

15.25 भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप यूनिट को प्रदेश में उत्पादन प्रारंभ करने पर उसे औद्योगिक नीति 2014-19 में प्राथमिकता उद्योग माना जाएगा. इसमें उद्योग एवं सेवा इकाईयां दोनों सम्मिलित होंगी तथा ऐसी स्टार्ट अप यूनिट को नवीन परिशिष्ट-6 (अ) अनुसार अनुदान एवं छूट पात्रतानुसार प्राप्त होंगे.

(दो) औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषाएं में निम्नानुसार अनुक्रमांक-54 जोड़ा जाये :—

54 स्टार्ट अप की वही परिभाषा मान्य होगी जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2016 को अधिसूचित की गई है. इसके अनुसार किसी संस्था को निम्नानुसार स्टार्ट अप माना जाये :—

(क) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष तक,

(ख) यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार (टर्नओवर) 25 करोड़ से अधिक नहीं है, और

(ग) वह अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिकी संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यिकरण के संबंध में कार्य कर रहा है, पहले से ही अस्तित्व वाले किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निमाण के माध्यम से बनाई गई किसी संस्था को स्टार्ट अप नहीं माना जाएगा.

(घ) इस अधिसूचना में दिये गये निम्न स्पष्टीकरण भी मान्य होंगे :—

स्पष्टीकरण :—

1. कोई संस्थान अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से पांच वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक होने पर स्टार्टअप के रूप में नहीं माना जाएगा.

2. संस्थान का अर्थ है—कोई निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत).

3. कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित किए अनुसार है.

4. किसी संस्थान को अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यिकरण के संबंध में कार्यरत माना जाता है, यदि उसका लक्ष्य निम्नलिखित को विकसित करना और उनका वाणिज्यिकरण करना है :

(क) एक नया उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया अथवा

(ख) महत्वपूर्ण रूप से सुधार किए गए मौजूदा उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया, जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के सृजन या उसके मूल्य संवर्धन में सहायक हो.

5. मात्र निम्नलिखित को विकसित करने संबंधी कार्य को इस परिभाषा में शामिल नहीं माना जाएगा :—

(क) उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं जिनमें वाणिज्यिकरण की संभावना नहीं हो, अथवा

(ख) एकसमान उत्पाद या सेवाएं या प्रक्रियाएं अथवा

(ग) उत्पाद या सेवा या प्रक्रियाएं जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के संबंध में मूल्य संवर्धन नहीं करते या सीमित वृद्धि करते हों, उक्त परिभाषा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा संशोधन के अनुरूप मान्य होगी.

(तीन) औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-3 प्राथमिकता उद्योगों की सूची (अ) वर्गीकरण के आधार पर में अनुक्रमांक-24 निम्नानुसार जोड़ा जाये :—

24 भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप यूनिट. इनके लिए निवेश की कोई न्यूनतम बाध्यकारी सीमा नहीं होगी.

(चार) प्रदेश में स्थापित होने वाली स्र्टाटअप इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नांकित स्टार्ट अप पैकेज को औद्योगिक नीति 2014-19 में परिशिष्ट-6 (अ) के रूप में जोड़ा जाये :—

परिशिष्ट-6 (अ)
स्टार्ट अप पैकेज

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्ट अप यूनिट को औद्योगिक नीति 2014-19 में प्राथमिकता उद्योग माना जाएगा व इसके लिये निवेश की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी. उसे स्टार्ट अप पैकेज के रूप में औद्योगिक नीति 2014-19 के निम्न अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी :—

1. **ब्याज अनुदान**—सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये वार्षिक.

2. स्थायी पूंजी निवेश अनुदान—

क्र.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		प्रतिशत	अधिकतम राशि (लाख रु. में)
1.	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	35	60
2.	मध्यम उद्योग	35	70
3.	वृहद उद्योग	35	110
4.	मेगा उद्योग	40	350

3. **विद्युत शुल्क छूट**—शतप्रतिशत छूट.

4. भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट.

5. लिये गये ऋण पर भी तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट.

6. (अ) **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान**—मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रुपये 2.50 लाख.

(ब) **गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान**—प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रुपये 1.25 लाख.

(स) **तकनीकी पेटेंट अनुदान**—पेटेंट प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रुपये 6.00 लाख.

(द) **प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान**—प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 60 प्रतिशत अधिकतम रुपये 6.00 लाख.

7. उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आवंटन पर सभी स्टार्ट अप को भू-प्रब्याजी में 60 प्रतिशत छूट.

8. छत्तीसगढ़ में लगने वाले स्टार्ट अप को प्रारंभिक वर्षों के लिये श्रम कानूनों में स्व-प्रमाणन के द्वारा अनुपालन की व्यवस्था लागू की जावेगी.

9. स्टार्ट अप पैकेज में औद्योगिक नीति 2014–19 के अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त निम्नांकित अनुदान एवं छूट भी दी जायेगी :—

9.1 छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले इस प्रकार के पहले छत्तीसगढ़ (36) स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षों तक राज्य सरकार के समस्त कर जो उसके द्वारा पटाए गए हों, रिफण्ड को छोड़कर, की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति (Reimburse) की जायेगी.

9.2 **किराया अनुदान**—छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप यूनिट्स को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, किराये के भवन में स्टार्ट अप यूनिट स्थापित करने की दशा में, पटाये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रु. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रु. 8000/- की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी.

10. **स्टार्ट अप की वैधता समाप्त हो जाने के उपरान्त उपलब्ध सुविधायें :**— इस पैकेज की टीप क्रमांक-5 के अनुसार कार्यवाही करने पर यदि स्टार्ट अप यूनिट वैध स्टार्ट अप यूनिट नहीं रह जाती है तो यदि संबंधित यूनिट को औद्योगिक नीति 2014-19 में प्रावधानित अनुदान एवं छूट मिलने की पात्रता आती है, तो उसे इनका लाभ उक्त औद्योगिक नीति के अंतर्गत संबंधित अनुदान/छूट के लिये जारी अधिसूचना में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन देने पर औद्योगिक नीति 2014-19 में प्रावधानित अवधि में से स्टार्टअप पेकेज का लाभ लेने की अवधि/मात्रा को कम करने के बाद शेष अवधि/मात्रा के लिये अनुदान/छूट दी जायेगी.

11. **स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास**—

11.1 भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध स्टार्ट अप यूनिट अनुमोदन के पश्चात पात्रता अनुसार सिंगल विण्डो सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन उद्यम आकांक्षा में पंजीयन प्राप्त करेगी, जिससे उन्हें राज्य शासन द्वारा दी जा रही ऑनलाईन अनुमतियां एवं सुविधायें आसानी से उपलब्ध होगी.

11.2 स्टार्टअप यूनिट को प्रारंभ से ही विभिन्न कार्यवाहियों के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से उद्योग संचालनालय में स्टार्टअप प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा. यह प्रकोष्ठ ऑनलाइन तथा प्रत्यक्ष संपर्क से कार्यवाहियां करेगा.

11.3 स्टार्टअप यूनिट प्रारंभ करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराना एवं उन्हें अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल एप बनाने की कार्यवाही की जा रही है.

11.4 स्टार्टअप यूनिट को प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर श्रम, वाणिज्यिक कर तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जाऐंगे.

11.5 स्टार्टअप यूनिट की स्थापना के लिए पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेने के लिए संपार्श्विक जमानत के विकल्प के रूप में क्रेडिट गारन्टी फण्ड योजना का अंशदान शासन द्वारा वहन किया जाता है.

11.6 प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों विशेषत: सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत स्टार्टअप यूनिटों की स्थापना हेतु कैंप के आयोजन एवं शुश्रुषा हेतु इनक्यूबेटर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाएगा.

11.7 प्रदेश में स्टार्ट अप इकाईयों के चयन एवं विकास के लिये समय-समय पर स्टार्ट अप फेस्ट (मेले) आयोजित किये जायेंगे, जिसमें नवागंतुक स्टार्ट अप उद्यमी एवं इच्छुक निवेशकों को एक प्लेटफार्म प्राप्त हो.

11.8 इसके साथ ही प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय कर स्टार्ट अप इकाईयों हेतु आवश्यक मार्गदर्शन की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जायेगा.

11.9 स्टार्ट अप यूनिटों को नवीन उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करने के लिये प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों से समन्वय कर नवाचार हेतु प्रेरित किये जाने का प्रयास किया जायेगा जिससे औद्योगिक इकाईयों में उत्पाद बनाने में अभिनवीकरण एवं मूल्य संवर्धन हो सके.

टीप :— उक्त पैकेज देने के लिए निम्नांकित का पालन सुनिश्चित किया जायेगा :—

1. उक्त पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2014-19 में दी गई परिभाषायें मान्य होंगी.

2. इस पैकेज का लाभ लेने पर स्टार्ट अप को राज्य शासन से अन्य समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के लाभ प्राप्त नहीं होंगे. इसी प्रकार से भारत सरकार से समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के लाभ प्राप्त हैं तो वह लाभ राज्य शासन से प्राप्त नहीं होंगे.

3. इस पैकेज के तहत पात्र स्टार्ट अप संस्थान को उक्त अनुसार अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगे, चाहे वह सामान्य वर्ग का निवेशक को या अनुसूचित जाति/जनजाति, अप्रवासी भारतीय, एफ.डी.आई निवेशक, निर्यातक, महिला या नक्सल प्रभावित हो, चाहे विकासशील क्षेत्र में हो या पिछड़े क्षेत्र में, चाहे मैन्यूफेक्चरिंग के क्षेत्र हो या सेवा प्रदाय क्षेत्र में हो.

4. इस पैकेज का लाभ इकाई को तब तक ही प्राप्त होगा जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है अर्थात उसे 5 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रुपये 25 करोड़ से अधिक न हुआ हो. इसका अर्थ यह है कि 5 वर्ष से अधिक का समय हो जाने अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रुपये 25 करोड़ से अधिक हो जाने पर आगामी वित्तीय वर्ष से इकाई स्टार्टअप पैकेज का लाभ लेने के लिये अपात्र हो जायेगी.

5. पैकेज की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया बेबसाईट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना अवश्यक होगा.

यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 7-21/2016/32.— चूंकि राज्य सरकार ने संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छत्तीसगढ़ द्वारा बिलासपुर निवेश क्षेत्र के लिए तैयार की गई विकास योजना को नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 (3) के अंतर्गत अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की है.

और चूंकि राज्य शासन ने उस पर विचार किया है तथा राज्य शासन द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न दर्शाए उपान्तरणों के साथ प्रारूप विकास योजना को अनुमोदन प्रदान करता है.

अतएव अधिनियम की धारा 19 (2) के प्रावधान के अंतर्गत नीचे दिये गये उपान्तरणों पर राज्य सरकार इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिन की कालावधि में उक्त उपान्तरणों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं. उपान्तरणों सहित मानचित्र संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नई कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर में निरीक्षण हेतु रखे गये हैं.

उक्त उपान्तरणों के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे उक्त स्थलों पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए.

बिलासपुर विकास योजना (प्रारूप) 2031 में प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

क्र.	ग्राम का नाम प.ह.नं.	खसरा क्रमांक	रकबा हेक्टर में	विकास योजना में प्रस्तावित भू-उपयोग	शासन द्वारा मान्य उपान्तरण का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोपरा प.ह.नं.	592 भाग 599, भाग 695 भाग	15.03 7.51 7.35	कृषि	आमोद प्रमोद
			29.89		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	बहतराई, प.ह.नं.	15, भाग	7.42	कृषि	आमोद प्रमोद
		16, भाग	8.76		
		17, भाग	11.82		
		18, भाग	6.98		
			34.98		
3.	चिचिरदा, प.ह.नं. 41	358 भाग	14.38	कृषि	आमोद प्रमोद
4.	काठाकोनी, प.ह.नं. 48	20/1, भाग	0.58	कृषि	आमोद प्रमोद
		23,	0.43		
		24,	0.55		
		27, भाग	6.46		
		29, भाग	0.23		
		30	0.34		
		281 एच, भाग	5.04		
			13.63		
5.	पेण्डारी, प.ह.नं.	1205 भाग	0.21	कृषि	आमोद प्रमोद
6.	परसदा (सकरी) प.ह.नं. 18	3, भाग	2.32	कृषि	आमोद प्रमोद
		29, भाग	1.17		
		77,	1.13		
		108 भाग	1.38		
			6.00		
7.	निरतू, प.ह.नं. 53	292 एच, भाग	0.63	कृषि	आमोद प्रमोद
		292/9, भाग	1.59		
		292/22, भाग	1.70		
		297,	4.32		
		436, भाग	9.47		
		471, भाग	2.23		
		1574, भाग	17.87		
		1578/1, भाग	0.28		
		1605, भाग	3.46		
		1636/2, भाग	4.39		
		1643,	4.03		
		1670/1 भाग	11.16		
			61.13		
8.	जोंकी, प.ह.नं. 44	286/3, भाग	0.23	कृषि	आमोद प्रमोद
		287/1, भाग	6.10		
		287/14, भाग	0.05		
		287/16, भाग	1.95		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		422, भाग	0.32		
		672, भाग	5.48		
		673, भाग	7.41		
		680, भाग	8.58		
		738/1, भाग	7.34		
			37.46		
9.	कछार, प.ह.नं.	788,	0.40	कृषि	आमोद प्रमोद
		789/1, भाग	4.31		
		795/1, भाग	4.07		
		799/3, भाग	2.31		
			11.09		
10.	सेमरताल, प.ह.नं. 24	319/1, भाग	7.50	कृषि	आमोद प्रमोद
		326/1,	13.25		
		817 भाग	37.96		
			58.71		
11.	रमतला, प.ह.नं.	1354/1, भाग	2.06	कृषि	आमोद प्रमोद
		1354/5, भाग	2.37		
		1362/1,	6.82		
		1363/1,	0.23		
		1364/1,	2.55		
		1364/2,	3.82		
		1365/1, भाग	2.18		
			20.03		
12.	बैमा, प.ह.नं. 26	926, भाग	4.37	कृषि	आमोद प्रमोद
		937/1, भाग	9.33		
		941,	0.77		
		943,	0.89		
		944, भाग	11.23		
		945,	0.92		
		950,	0.26		
		1017, भाग	4.63		
		1018,	0.72		
		1040,	0.26		
		1048, भाग	6.24		
			39.62		
13.	उरतुम, प.ह.नं. 27	49, भाग	2.00	कृषि	आमोद प्रमोद
		281 एच, भाग	41.65		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		530 एच, भाग	1.47		
		530/1 भाग	5.26		
			50.38		
14.	खैरा, प.ह.नं.	774/1,	2.23	कृषि	आमोद प्रमोद
		787 भाग	11.96		
			14.19		
15.	परसाही, प.ह.नं.	3, भाग	0.06	कृषि	आमोद प्रमोद
		4/1, भाग	7.36		
		4/2, भाग	0.12		
		191 भाग	0.02		
			7.56		
16.	धुमा, प.ह.नं. 41	28, भाग	3.25	कृषि	आमोद प्रमोद
		36, भाग	6.24		
		37, भाग	5.38		
		38, भाग	4.31		
		39, भाग	9.34		
		797 भाग	1.81		
			30.33		
17.	लावर, प.ह.नं. 25	27/1, भाग	2.26	कृषि	आमोद प्रमोद
		29/1, भाग	8.62		
		126, भाग	0.10		
		271, भाग	12.03		
			23.01		
18.	लिमतरा, प.ह.नं. 24	59, भाग	7.30	कृषि	आमोद प्रमोद
		61 भाग	0.55		
			7.85		
19.	पोड़ी, प.ह.नं. 04	1/1, भाग	29.55	कृषि	आमोद प्रमोद
		27, भाग	0.11		
		81,	0.90		
		373, भाग	22.20		
		555, भाग	4.90		
			57.66		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	सिलपहरी, प.ह.नं. 04	18, भाग	3.24	कृषि	आमोद प्रमोद
		571, भाग	14.63		
		573, भाग	17.63		
			35.50		
21.	हरदीकला, प.ह.नं. 03	2090, भाग	47.21	कृषि	आमोद प्रमोद
		2091, भाग	7.31		
		2152, भाग	0.07		
		2153, भाग	73.96		
			128.55		
22.	खपराखोल, प.ह.नं. 03	1, भाग	1.68	कृषि	आमोद प्रमोद
		15/1, भाग	3.10		
		24,	3.96		
		28/1,	3.96		
		110/1, भाग	2.56		
		188, भाग	12.09		
		248,	0.07		
		249,	0.07		
		250,	1.54		
		309,	0.38		
		310,	0.44		
		311,	0.26		
		312	0.50		
			30.61		
23.	नगरौड़ी, प.ह.नं. 03	2, भाग	7.73	कृषि	आमोद प्रमोद
		114, भाग	7.78		
		119, भाग	5.55		
		525,	0.17		
		526	4.86		
			26.09		
24.	मगरउछला, प.ह.नं. 05	5 भाग	3.90	कृषि	आमोद प्रमोद
		6, भाग	2.79		
		11, भाग	10.97		
		12, भाग	0.27		
		22, भाग	1.24		
		35, भाग	6.09		
			25.26		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	धमनी, प.ह.नं. 07	411, भाग	0.66	कृषि	आमोद प्रमोद
		840, भाग	4.30		
		858, भाग	5.58		
		878, भाग	2.01		
		880, भाग	34.34		
			46.89		
26.	तिलसरा, प.ह.नं. 24	157, भाग	26.57	कृषि	आमोद प्रमोद
		555, भाग	6.34		
			32.91		
27.	मुढ़ीपार, प.ह.नं. 09	33, भाग	0.40	कृषि	आमोद प्रमोद
		221, भाग	16.91		
		344, भाग	0.00		
		350, भाग	5.22		
		419 भाग	0.63		
			23.16		
28.	परसदा (भटगांव) प.ह.नं.	77, भाग	3.65	कृषि	आमोद प्रमोद
		82 भाग	9.78		
			13.43		
29.	भटगांव	613 भाग	5.07	कृषि	आमोद प्रमोद
30.	बिजौर	8/1 भाग	3.01	कृषि	आमोद प्रमोद
31.	बोदरी	58 भाग	14.51	कृषि	आमोद प्रमोद
32.	हरदी	76, भाग	2.64	कृषि	आमोद प्रमोद
		78 भाग	1.68		
			4.32		
33.	नगोई	550, भाग	8.94	कृषि	आमोद प्रमोद
		1152, भाग	9.10		
		1153,	0.72		
			18.76		
34.	तुरकाडीह	74 भाग	1.73	कृषि	आमोद प्रमोद
35.	दर्रीघाट	75 एच भाग	4.12	कृषि	आमोद प्रमोद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	सेवार	22, भाग 681, भाग 792, भाग	31.01 27.75 7.25	कृषि	आमोद प्रमोद
			66.01		
		महायोग	**998.04**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक/डी-3588/1109/2003/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा भोलिया जाति को पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के सरल क्रमांक 90 में सम्मिलित करता है. विवरण निम्नानुसार है :—

जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
भूलिया-भोलिया	सूती कपड़ा बुनना	यह जाति मुख्यत: रायगढ़ जिले में उड़ीसा राज्य से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक/एफ-10-19/25-2/10/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 44 में सम्मिलित "लोनिया, लुनिया, औड़, ओड़े, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा" के पश्चात् "नुनिया, नोनिया" को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

क्रमांक/एफ 19-16/2014/25-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 01, अनुक्रमांक 34, अनुक्रमांक 39, अनुक्रमांक 42, अनुक्रमांक 90 एवं अनुक्रमांक 93 में शामिल जातियों के आगे उनके सम्मुख अंकित निम्नानुसार जातियों को सम्मिलित करता है :—

क्र.	अ.पि. वर्ग की सूची का अनुक्रमांक	पूर्व से सम्मिलित जाति	नवीन सम्मिलित जाति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव, यादव, बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी ग्वारी, गोवारा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, राउत, महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, रावत.	गहिरा, गौली
2.	34	जोशी, भड्डारी, डकोचा, डकोता	भटरी, भडरी, भठरी
3.	39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी.	कुन्वी, कुनवी
4.	42	कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना	कलवार
5.	90	भूलिया, भोलिया	भुलिया
6.	93	रौनियार	कमलापुरी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राजेश पटेल	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर
2.	अंकित बाफना	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर
3.	हितेश बरडिया	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	सतीश कुमार ठाकुर	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
5.	सुमित कुमार देवांगन	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटक्निक, बिलासपुर
6.	अभिन्न सलूजा	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
7.	लखन यादव	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
8.	अभिरन्यू कुमार सिंह	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
9.	विमल सिंह बिन्द	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
10.	जयंत कुमार राय	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा
11.	इन्दुलता साहू	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगांव
12.	रोमेश कुमार राठौर	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
13.	चंद्रेश कुमार देशमुख	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
14.	सृजन कुमार	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, कांकेर
15.	बसंत कुमार पटेल	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर
16.	आकांक्षा सिंह	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
17.	संदीप सरवन	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
18.	अग्निवेश गुप्ता	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
19.	ईशान साहू	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
20.	आकांक्षा साहू	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
21.	सोमेश यादव	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
22.	जितेन्द्र भोई	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा
23.	गैलेन्द्र कुमार साहू	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर
24.	मेनिका साहू	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
25.	पूजा देवांगन	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, जशपुर
26.	शालिनी तिवारी	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगांव
27.	अर्पिता रानी वैष्णव	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर
28.	फनेन्द्र भारती जोशी	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर
29.	पूनम साहू	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
30.	नेहा देवांगन	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
31.	हरेन्द्र कुमार नेताम	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
32.	जितेन्द्र कुमार ठाकुर	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर
33.	अनिल कुर्रे	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
34.	तुलजा ज्योति भूआर्य	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम
35.	हिमांशु डहरिया	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर-चांपा
36.	दिपिका बम्बेश्वर	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर
37.	विपिन चंद्र डहरिया	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी
38.	पूनम चंद	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
39.	नेहा ठाकुर	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगांव
40.	दीपेश कुमार गौतम	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर
41.	दयानिधी मांझी	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
42.	आकांक्षा महोबिया	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
43.	मनीषा गंगा	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
44.	माधुरी तिग्गा	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर
45.	सुलेखा कुजुर	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
46.	सतीश किसपोट्टा	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता (सूचना प्रौद्योगिकी) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ब्रजेन्द्र सिंह राजपूत	सूचना प्रौद्योगिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर
2.	संतोष कुमार	सूचना प्रौद्योगिकी	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
3.	दीपक कुमार साहू	सूचना प्रौद्योगिकी	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	हुसैन उल्ला खान	सूचना प्रौद्योगिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
5.	दीप्ति अगलावे	सूचना प्रौद्योगिकी	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर
6.	संगीता सिंह	सूचना प्रौद्योगिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, नारायणपुर
7.	रूपेश कुमार	सूचना प्रौद्योगिकी	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
8.	मुकुंद कौशल पटेल	सूचना प्रौद्योगिकी	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बिलासपुर
9.	पुष्पेन्द्र वर्मा	सूचना प्रौद्योगिकी	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
10.	हेमचंद्र देवांगन	सूचना प्रौद्योगिकी	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक अंडरटेकिंग कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/ विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये उम्मीदवार श्रीमती सीमा विश्वास को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता (मेटलर्जी) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़ में पदस्थ करता है.

2. उपरोक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्ति 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्ति में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 1-28/2015/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय)

(राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत सह-प्राध्यापक, प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 37,400-67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 9,000/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित सह प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अजय त्रिपाठी	मेकेनिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर
2.	श्री अतुल कोष्टी	इलेक्ट्रिकल	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टेकाम, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पेमला प.ह.नं. 25	1.518	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दायीं तट पेमला शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जमरगी (झिंगेरेल) प.ह.नं. 26	1.659	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दायीं तट जमरगी (झिंगेरेल) शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह.नं. 38	0.400	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के जामझोर टोंगरी शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कोकियाखार प.ह.नं. 38	1.170	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना कोकियाखार शाखा नहर क्र. 7 का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ–82/2012–13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बनगॉव "बी" प.ह.नं. 24	0.743	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के बॉयी तट बनगांव "बी" शाखा नहर का भू–अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ–82/2012–13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पेमला (हर्राबहार) प.ह.नं. 25	1.038	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दॉयी तट पेमला (हर्राबहार) शाखा नहर का भू–अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जमरगी (बड़ा झिंगरेल) प.ह.नं. 26	2.460	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	लोकेर जलाशय योजना के दॉयी तट जमरगी (बड़ा झिंगरेल) शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह.नं. 38	0.999	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के बॉयी तट जामझोर शाखा नहर क्र. 2 का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प.ह.नं. 38	0.724	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के बॉयी तट जामझोर शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर मनोहरपारा प.ह.नं. 38	0.775	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	गेरानाला जलाशय योजना के बॉयी तट जामझोर मनोहरपारा शाखा नहर क्र. 5/2 का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

क्रमांक 387/01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	मौलीखार प.ह.नं. 40	3.98	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

क्रमांक 383/08/अ-82/वर्ष 15-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-चारभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
465	0.05
492	0.01
493	0.06

	(1)	(2)
	494	0.04
	495	0.16
	497	0.11
	498	0.09
	452/3	0.06
	452/2	0.07
	452/1	0.08
	448	0.05
	455	0.04
	445	0.13
	426	0.08
	427	0.02
	429	0.05
	428	0.04
	430/1	0.04
	431	0.01
	423	0.06
	432	0.04
	422	0.04
	419	0.06
	420	0.04
	405/4	0.03
	405/2	0.02
	405/5	0.03
	404	0.04
	403/2	0.04
	172	0.04
	173	0.07
	174	0.08
	179	0.01
	180	0.10
	181	0.04
	182	0.05
	156	0.12
योग	37	2.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के अंतर्गत शाखा नहर (क्रमांक 04) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

क्रमांक 385/02/अ-82/वर्ष 15-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-सिंगबहाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.77 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	94/3	0.06
	93/2	0.08
	91	0.22
	90/1	0.06
	89	0.13
	61	0.07
	35	0.04
	31	0.26
	30/1	0.06
	29/2	0.08
	27	0.20
	4/1	0.42
	4/5	0.03
	4/6	0.06
योग	14	1.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के अंतर्गत शाखा नहर निर्माण (चैन क्र. 40 में).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जशपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक/01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-मनोरा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनक्यारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.209 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	47/3	1.165
	47/6	1.044
योग	2	2.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सोनक्यारी पुलिस चौकी एवं बंदी गृह निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्रमांक/7269/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-बैकुण्ठपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खुटरापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.280 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	42/4	0.280
योग	1	0.280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-केनापारा-खुटरापारा मार्ग के गेज नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 25/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-लिबरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.631 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	565/14	0.631
योग	1	0.631

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा श्याम परियोजना के मुख्य बायीं तट नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 38/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बांकीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.895 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/34	0.377
	15/6	0.219
	1/33	0.328
	1/40	0.269
	1/41	0.144
	15/16	0.076
	1/43	0.222
	1/24	0.260
योग		1.895

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांकीपुर जलाशय योजना के स्पिल चैनल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 42/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-कालापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	154	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा श्याम परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 43/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-करजी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	674	0.024
	678/3	0.008
योग	2	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा श्याम परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक 20/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-छिन्दकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.506 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	51/2	0.032
	73/4	0.030
	58	0.032
	75	0.020
	60/1	0.032
	76	0.016
	61/1	0.028
	234/4	0.050
	71/1	0.154
	234/28	0.016
	72/2	0.020
	56/4	0.012
	72/1	0.020
	61/2	0.044
योग		0.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम परियोजना श्याम दायीं तट मुख्य नहर अन्तर्गत मोतीपुर माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक 26/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-छिन्दकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.395 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1258/1	0.030
1071	0.040
1255/1	0.081
1043/1	0.064
1259/3	0.040
1055/1	0.032
1255/2	0.016
1076/1	0.020
1255/3	0.032
1045/1	0.040
योग	0.395

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा श्याम परियोजना के अंतर्गत छिन्दकालो माइनर श्याम बायीं तट मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक 27/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोहनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
185/21/1	0.235
197	0.020
185/23	0.388
202	0.065
185/41	0.053
203	0.049
188/1	0.024
204	0.170
194	0.121
209	0.109
195	0.049
242	0.049
196	0.073
योग	1.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहनपुर जलाशय के अन्तर्गत स्पील चैनल (वेस्ट वियर) एवं बांध लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक 36/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-खजुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.255 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
612/37	0.194
384	0.019
419/1	0.060
418	0.040
345/1	0.139
612/38	0.100
385	0.066
412/2	0.098
405	0.121
344	0.020
612/48	0.098
386	0.066
415/3	0.122
420	0.092
611	0.204
387	0.033
415/1	0.020
406	0.034
610/1	0.136
413	0.060
404/3	0.031
608/3	0.029
609/1	0.026
414	0.054
404/4	0.031
403/1	0.004
381	0.170
419/2	0.060
415/2	0.084
404/1	0.044
योग	2.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खजुरी व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक 37/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बकिरमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.368 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
826/7	1.368
योग	1.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांकीपुर जलाशय के स्पील चैनल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक 41/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-जगदीशपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.319 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
865/1	0.061
733	0.240
301/1	0.069
699/1	0.136
688	0.032
290/1	0.121
708	0.180
803/2	0.060
287	0.036
866/2	0.040
306/2	0.057
290/2	0.049
690	0.168
803/1	0.081
290/3	0.052
867	0.050
306/3	0.101
734/1	0.105
731	0.101
304/4	0.580
योग	2.319

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम परियोजना श्याम दायीं तट मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्रमांक 769/10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लखनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ढोढाकेसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.151 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
131/10 क	0.154
131/39	0.097
119/23	0.032
119/65	0.113
119/5	0.004
102/7	0.032
102/57	0.223
102/5	0.182
131/9	0.097
119/53	0.174
119/48	0.053
119/60	0.093
119/4	0.041
119/30	0.146
102/9	0.150
119/54	0.174
119/45	0.061
119/9	0.028

	(1)	(2)
	119/31	0.089
	119/67	0.263
	102/10	0.077
	102/8	0.061
	119/43	0.122
	119/46	0.049
	119/66	0.077
	119/56	0.032
	102/19	0.061
	102/11	0.040
	102/6	0.426
योग	29	3.151

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जिवलिया-केदमा व्यपवर्तन योजना के वियर, मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्रमांक 778/10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खरसुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.504 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1163	0.235
607	0.032
617/2	0.020
589/1	0.004
615	0.024
603/3	0.041
599	0.004
633	0.040
638/2	0.008
473	0.004
362	0.049
359/2	0.032
1112/1	0.032
1105/5	0.024
1113/5	0.049
1105/1	0.004
1129/10	0.032
1129/8	0.129
1129/7	0.057
1146/2	0.049
1111/3	0.004
1183	0.028
1178	0.113
1191	0.032
592	0.045
605	0.073
612/1	0.032
616	0.182
634	0.045
638/3	0.008
443	0.053
443	0.053
1106/1	0.008
1106/2	0.020
1113/4	0.045
1106/3	0.012
1128/1	0.049
1127	0.020
1131	0.020
1140/2	0.012
1146/1	0.049
1181	0.077
1190/3	0.004
1192	0.028
601	0.057
603/1	0.036
614	0.036
623/1	0.032
636	0.004
444	0.004
461	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
461	0.008	360	0.061
1107/2	0.004	1113/3	0.045
1113/2	0.186	1112/2	0.061
1112/3	0.032	1105/6	0.028
1113/1	0.049	1151/1	0.036
1128/2	0.036	1133	0.021
1126	0.040	1130	0.004
1134/1	0.073	1134/2	0.073
1144	0.057	1146/3	0.049
1129/3	0.065	1114	0.073
1186	0.101	योग 81	3.504
617/1	0.020		
1193/1	0.032		
604	0.008		
603/2	0.036		
474	0.057		
632	0.045		
638/1	0.012		
475	0.065		
360	0.061		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गेरूआ नाला व्यपवर्तन योजना के वियर मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, रिटर्निंग आफिसर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् निर्वाचन-2016
कक्ष क्रमांक-22, प्रथम तल, पुराना नर्सेस हॉस्टल डी.के.एस. परिसर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2016

क्रमांक 12/रिआ/सीसीआईएमचुनाव/2016.—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 के नियम-13 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में रिटर्निंग आफिसर एतद्द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से एक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति से एक प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु सम्यकत: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों के नाम और पते प्रकाशित करता है, यथा :—

(अ) आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति

क्रम संख्या (1)	अभ्यर्थियों के नाम (2)	अभ्यर्थियों के पते (3)
1.	डॉ. दयामणी साहू	C/o राजेन्द्र मेडिकल स्टोर्स, सीपत रोड, नया सरकण्डा बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़).
2.	डॉ. देवेन्द्र कुमार ठाकुर	ग्राम/पोस्ट-कुसुमकसा, मनोहर चौक, (बैगापारा), तहसील-बालोद, जिला-बालोद (छत्तीसगढ़).
3.	डॉ. प्रिंस जायसवाल	बंगला नं.-76, एमएलए नगर, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छत्तीसगढ़)

(1)	(2)	(3)
4.	डॉ. बुधेश कुमार पटेल	ग्राम/पोस्ट-खोरसी, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)-495556.
5.	डॉ. शिव नारायण द्विवेदी	रोहणीपुरम गेट के पास, आयुर्वेद कॉलेज के पीछे, रायपुर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)-492010.
6.	डॉ. सुभाष चन्द्र शर्मा	मकान नं.-21, गली नं.-03, लोहिया नगर, कांपा, मोवा, रायपुर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़).
(ब)	**यूनानी चिकित्सा पद्धति**	
1.	डॉ. केतन पटेल	भोलेनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, भनपुरी, रायपुर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)-492001.
2.	डॉ. सैय्यद अतीकुर रहमान	विद्या नगर, पोस्ट-छोटा पारा, रायपुर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)-492001.

टोपेश्वर वर्मा,
रिटर्निंग आफिसर.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 1435/नग्रानि./राजनांदगांव/स्ट्र. प्लान गण्डई/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में गण्डई निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्र. 145/नग्रानि./राजनांदगांव/स्ट्र. प्लान गण्डई/2016 राजनांदगांव दिनांक 02-02-2016 छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 22 अप्रैल 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट गण्डई निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

गण्डई निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बुढ़ासागर, देवपुरा, भुरभुसी एवं ग्राम गोकना की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम गोकना, हनईबन एवं ग्राम ठंडार की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम ठंडार एवं ग्राम चकनार की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम चकनार, पण्डरिया, कृतबांस एवं ग्राम बुढ़ासागर की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :

1. कार्यालय, नगर पंचायत, गण्डई जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
2. कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, तहसील कार्यालय परिसर, बलदेव बाग रोड, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

No. 1435/T&CP/Rajnandgaon/S.P.-Gandai/2016.—The existing land use map and register for the Gandai Planning Area was published under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), vide notice No. 145 Rajnandgaon, dated 02-02-2016 in Chhattisgarh Rajpatra published on dated 22 April 2016.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map and register of Gandai Planning Area prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, under the provision of sub-section (3) of the Section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" under the provision of sub-section (4) of Section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of the Gandai Planning Area

NORTH : Village Budhasagar, Deopura, Bhurbhusi upto the northern limit of Gokana.
EAST : Village Gokana, Hanaiband upto the eastern limit of village Thandar.
SOUTH : Village Thandar upto the southern limit of Chaknar.
WEST : Village Chaknar, Pandariya, Kritbans upto the western limit of Budhasagar.

The said adopted maps and register shall be available for inspection or general public at following place during office hours, except holidays for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :
1. Office of the Nagar Panchayat, Gandai, District-Rajnandgaon (C.G.)
2. Office of the Deputy Director, Town and Country Planning Tehsil Office Campus, Baldev Bag Road, District-Rajnandgaon (C.G.)

एल. एल. राठौर,
उप संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 8th November 2016

No. 770/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

S. No.	Name & presently posted as	From	To	Revenue District	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Tajuddin Asif, Civil Judge Class-II.	Dabhra	Bilaspur	Bilaspur	II Civil Judge Class-II
2.	Shri Bhaskar Mishra, II Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Dabhra	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II.

Bilaspur, the 8th November 2016

No. 772/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Neeraj Sharma, III Additional District & Sessions Judge.	Raigarh	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).

Bilaspur, the 11th November 2016

No. 791/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi, Civil Judge Class-II.	Sitapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	V Civil Judge Class-II
2.	Shri Janak Kumar Hidko, Civil Judge Class-II.	Kartala	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	I Civil Judge Class-II.
3.	Shri Brijesh Rai, I Civil Judge Class-II.	Durg	Kartala	Korba	Civil Judge Class-II
4.	Shri Bhupat Singh Sahu, V Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Sitapur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 11th November 2016

No. 794/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. (2) of the table below is, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6)

from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Jitendra Kumar Singh, Secretary, District Legal Services Authority.	Jagdalpur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	III Civil Judge Class-I.

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2016

क्रमांक 9156/दो-15-19/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य शासन के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित परिवीक्षाधीन सहायक कलेक्टरों को सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में प्रत्येक के सामने दर्शाये गये राजस्व जिले में एक सप्ताह के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 10 (धारा 181 को छोड़कर), तेरह (धारा 281 और 295-क को छोड़कर), 15 एवं 19 तथा धाराएं 143, 151, 153, 154 से 160, 171, 323, 324, 337, 342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-ई, 504, 508, 509 एवं 510 के अधीन दण्डनीय अपराधों, जो एक वर्ष के कारावास से अधिक दण्ड से दण्डनीय न हो, से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की शक्तियों से वेष्ठित करता है जो संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विचारण हेतु उन्हें सौंपे जावे.

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	जिले का नाम एवं अधिकृत स्थानीय क्षेत्र (3)
1.	श्री डी. राहुल वेंकट, सहायक कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर	बस्तर स्थान जगदलपुर
2.	श्री हैरिस एस., सहायक कलेक्टर, बिलासपुर	बिलासपुर
3.	सुश्री नुपूर राशि पन्ना, सहायक कलेक्टर, सरगुजा	सरगुजा (अंबिकापुर)
4.	श्री प्रभात मलिक, सहायक कलेक्टर, रायगढ़	रायगढ़
5.	श्री विजय दयाराम के., सहायक कलेक्टर, राजनांदगांव	राजनांदगांव

No. 9156/II-15-19/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 13 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and on the request of the State Government of Chhattisgarh, the High Court of Chhattisgarh here-by Conferred the powers of Judicial Magistrate of Second Class upon the Probationary Assistant Collectors name mentioned in column (2) of the table below to exercise jurisdiction in the local areas specified against their respective names in column (3) of the table below for a week and to such cases & such offences as may be assigned to them by the Chief Judicial Magistrate of the respective areas under chapters 10 (Except Section 181), 13 (Except Sections 281, 295-A) 15 and 19 and Section 143, 151, 153, 154 to 160, 171, 323, 324, 337, 342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-E, 504, 508, 509 and 510 of the Indian Penal Code, provided that the offences are not punishable with imprisonment for more than one year.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Officers (2)	Name of District and Name of Local area of Jurisdiction (3)
1.	Shri D. Rahul Venkat, Assistant Collector, Bastar at Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Hairish S., Assistant Collector, Bilaspur	Bilaspur
3.	Miss Nupoor Rashi Panna, Assistant Collector, Surguja	Surguja (Ambikapur)
4.	Shri Prabhat Malik, Assistant Collector, Raigarh	Raigarh
5.	Shri Vijay Dayaram K., Assistant Collector, Rajnandgaon	Rajnandgaon

बिलासपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2016

क्रमांक 278/दो-2-3/2000.—श्रीमति अनुराधा खरे, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर दिनांक 31-10-2016 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

By ordre of the Hon'ble High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 10th November 2016

No. 75/L.G./2016/II-3-38/2007.—Shri Ram Kumar Tiwari, District & Sessions Judge, Bemetara is hereby, granted commuted leave for 04 days from 04-10-2016 to 07-10-2016 along with permission to leave headquarters from 04-10-2016 to 12-10-2016.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 171 days of half-pay- leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th November 2016

No. 76/L.G./2016/II-3-27/2007.—Smt. Neeta Yadav, I Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted commuted leave for 03 days from 22-08-2016 to 24-08-2016 along with permission to leave head-quarters from 21-08-2016 to 24-08-2016.

During the period of commuted leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Yadav, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 224 days half-pay- leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 10th November 2016

No. 77/L.G./2016/II-2-5/2015.—Shri Maneesh Kumar Thakur, Additional Registrar (D.E. & E.), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 15 days from 23-09-2016 to 07-10-2016 along with permission to leave headquarters from 23-09-2016 to 16-10-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Thakur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 282 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th November 2016

No. 78/L.G./2016/II-2-7/2013.—Shri Satish Kumar Singh, District & Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 05 days from 19-09-2016 to 23-09-2016 along with permission to leave headquarters from the morning of 19-09-2016 till 23-09-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+07 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th November 2016

No. 79/L.G./2016/II-2-13/2009.—Shri Gautam Chouradia, Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 03-10-2016 to 07-10-2016 along with permission to remain out of headquarters from the evening of 01-10-2016 till the morning of 17-10-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradia, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 276 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th November 2016

No. 80/L.G./2016/II-02-04/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, District & Sessions Judge, Balod is hereby, granted earned leave for 24 days from 26-09-2016 to 29-09-2016 along with permission to leave headquarters from 25-09-2016 to 29-09-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 282 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th November 2016

No. 81/L.G./2016/II-2-4/2009.—Shri Ashok Kumar Sahu, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 02 days on 23-09-2016 & 24-09-2016 along with permission to leave headquarters from 23-09-2016 to 25-09-2016, earned leave for 02 days on 13-10-2016 & 14-10-2016 along with permission to leave headquarters from 08-10-2016 to 16-10-2016 & earned leave for 01 day on 27-10-2016 along with permission to leave headquarters from 27-10-2016 to 31-10-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sahu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 277 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th November 2016

No. 82/L.G./2016/II-3-4/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Durg is hereby, granted earned leave for 05 days from 12-09-2016 to 16-09-2016 along with permission to leave headquarters from the morning of 12-09-2016 till the night of 17-09-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 235 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
OMPRAKASH SINGH CHOUHAN, Additional Registrar (ADMN.).